जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल :: info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-SD/870/15/3004 दिनांक : 22.11.18

**कार्यालय आदेश**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को **नशा मुक्ति दिवस** का आयोजन अधिवेशन भवन, पटना में किया गया है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करनवाली 2 जीविका दीदियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही शराबबन्दी एवं नशा-मुक्ति की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करनेवाली लगभग 150 दीदियों को भी आयोजन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। विभिन्न स्थानों से दीदियों के आने-जाने एवं खाने-पीने पर होने वाले व्यय का वहन मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

शराबबन्दी हेतु अच्छा काम करनेवाली दीदियों, स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों जैसी सामुदायिक संस्थाओं का चयन जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु पटना जिला की 40, नालंदा की 20 तथा गया की 20 सक्रिय दीदियों को आयोजन में भाग लेना है। शेष प्रत्येक जिले से सर्वोत्कृष्ट कार्य करनेवाले एक ग्राम संगठन की 2 सक्रिय सदस्यों को कार्यक्रम में भाग लेना है।

कार्यक्रम में भाग लेने हेतु वैसी दीदियों को भेजा जाय जिनको स्वास्थ्य विषयक समस्या न हो। बच्चों को दूध पिलानेवाली महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में नहीं भेजा जाय। इस बात का ध्यान रखा जाय कि इन दीदियों के साथ जिला के किसी जानकार जीविका कर्मी (भरसक प्रबंधक/ प्रभारी प्रबंधक (सामाजिक विकास) अथवा किसी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक) की प्रतिनियुक्ति दीदियों को पटना लाने एवं उन्हें घर तक सुरक्षित पहुँचाने के प्रयोजन से की जाय। इसके लिए संबंधित कर्मी को आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि भी दे दी जाय जिसका अभिश्रव उनके द्वारा कार्यक्रम समाप्ति के एक सप्ताह के अंतर्गत जिला इकाई के माध्यम से राज्य कार्यालय को समर्पित कर दिया जाय। दीदीयों को लाने-ले जाने के लिए बोलैरो / सुमो जैसे छोटे मगर सुविधाजनक वाहनों का उपयोग किया जाय। इस हेतु होनेवाले व्यय का अभिश्रव जिलों से प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति हेतु मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिन वाहनों से दीदियों के परिवहन की व्यवस्था की जायेगी उनपर **'नशामुक्ति दिवस कार्यक्रम – 2018'** का बैनर लगा रहना चाहिए।

अपेक्षा की जाती है कि जिला परियोजना प्रबंधक इस आदेश के आलोक में अपक्षित त्रुटिहीन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार,

22/11/2018

**(ब्रजकिशोर पाठक)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी परियोजना कर्मी - राज्य स्तर/जिला स्तर।